न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, सिरोही
(बइजलास गितेश श्री मालवीया, आर.ए.एस.)

(1) **पंचायत निगरानी संख्या: 61/2020**

प्रार्थी

विकास अधिकारी, पंचायत समिति, पिण्डवाडा, जिला- सिरोही

बनाम

अप्रार्थी

1. सरपंच, ग्राम पंचायत, वाटेरा, तहसील- पिण्डवाडा, जिला- सिरोही
2. भीमाराम पुत्र जीवाजी, जाति-रेबारी, निवासी- वाटेरा, तह. पिण्डवाडा, जिला-सिरोही

(2) **पंचायत निगरानी संख्या: 64/2020**

प्रार्थी

विकास अधिकारी, पंचायत समिति, पिण्डवाडा, जिला- सिरोही

बनाम

अप्रार्थी

1. सरपंच, ग्राम पंचायत, वाटेरा, तहसील- पिण्डवाडा, जिला- सिरोही
2. सीता पत्नी भीमा जी, जाति-रेबारी, निवासी- वाटेरा, तह. पिण्डवाडा, जिला-सिरोही

(3) **पंचायत निगरानी संख्या: 73/2020**

प्रार्थी

विकास अधिकारी, पंचायत समिति, पिण्डवाडा, जिला- सिरोही

बनाम

अप्रार्थी

1. सरपंच, ग्राम पंचायत, वाटेरा, तहसील- पिण्डवाडा, जिला- सिरोही
2. अजबाराम पुत्र सीताराम जी, जाति-रेबारी, निवासी-वाटेरा, तह.पिण्डवाडा, जिला-सिरोही

(4) **पंचायत निगरानी संख्या: 74/2020**

प्रार्थी

विकास अधिकारी, पंचायत समिति, पिण्डवाडा, जिला- सिरोही

बनाम

अप्रार्थी

1. सरपंच, ग्राम पंचायत, वाटेरा, तहसील- पिण्डवाडा, जिला- सिरोही
2. नवाराम पुत्र सीताराम जी, जाति-रेबारी, निवासी-वाटेरा, तह. पिण्डवाडा, जिला-सिरोही

(5) **पंचायत निगरानी संख्या: 75/2020**

प्रार्थी

विकास अधिकारी, पंचायत समिति, पिण्डवाडा, जिला- सिरोही

बनाम

अप्रार्थी

1. सरपंच, ग्राम पंचायत, वाटेरा, तहसील- पिण्डवाडा, जिला- सिरोही
2. भलाराम पुत्र सीता जी, जाति-रेबारी, निवासी- वाटेरा, तह. पिण्डवाडा, जिला-सिरोही

Signature Not Verified
Digitally signed by Gitesh Shree Malaviya
Date: 2021.06.09 17:10:16 IST
Reason: SelfAttested

...पेज दो

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

(6) <u>पंचायत निगरानी संख्या: 87/2020</u>

<u>प्रार्थी</u>

विकास अधिकारी, पंचायत समिति, पिण्डवाडा, जिला- सिरोही

बनाम

<u>अप्रार्थी</u>

1. सरपंच, ग्राम पंचायत, वाटेरा, तहसील- पिण्डवाडा, जिला- सिरोही
2. रघुनाथ पुत्र सवा जी, जाति-रेबारी, निवासी- वाटेरा, तह. पिण्डवाडा, जिला-सिरोही

(7) <u>पंचायत निगरानी संख्या: 88/2020</u>

<u>प्रार्थी</u>

विकास अधिकारी, पंचायत समिति, पिण्डवाडा, जिला- सिरोही

बनाम

<u>अप्रार्थी</u>

1. सरपंच, ग्राम पंचायत, वाटेरा, तहसील- पिण्डवाडा, जिला- सिरोही
2. नारायणलाल पुत्र केसाजी, जाति-रेबारी, निवासी-वाटेरा, तह. पिण्डवाडा, जिला-सिरोही

(8) <u>पंचायत निगरानी संख्या: 90/2020</u>

<u>प्रार्थी</u>

विकास अधिकारी, पंचायत समिति, पिण्डवाडा, जिला- सिरोही

बनाम

<u>अप्रार्थी</u>

1. सरपंच, ग्राम पंचायत, वाटेरा, तहसील- पिण्डवाडा, जिला- सिरोही
2. शंकरलाल पुत्र सवा जी, जाति-रेबारी, निवासी- वाटेरा, तह. पिण्डवाडा, जिला-सिरोही

(9) <u>पंचायत निगरानी संख्या: 91/2020</u>

<u>प्रार्थी</u>

विकास अधिकारी, पंचायत समिति, पिण्डवाडा, जिला- सिरोही

बनाम

<u>अप्रार्थी</u>

1. सरपंच, ग्राम पंचायत, वाटेरा, तहसील- पिण्डवाडा, जिला- सिरोही
2. धनाराम पुत्र नारायण जी, जाति-रेबारी, निवासी-वाटेरा, तह. पिण्डवाडा, जिला-सिरोही

(10) <u>पंचायत निगरानी संख्या: 99/2020</u>

<u>प्रार्थी</u>

विकास अधिकारी, पंचायत समिति, पिण्डवाडा, जिला- सिरोही

बनाम

<u>अप्रार्थी</u>

1. सरपंच, ग्राम पंचायत, वाटेरा, तहसील- पिण्डवाडा, जिला- सिरोही
2. शांतिदेवी पत्नी नारायणजी, जाति-रेबारी, निवासी-वाटेरा, तह. पिण्डवाडा, जिला-सिरोही

<u>**"निगरानी आवेदन अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994"**</u>

<u>**उपस्थिति:**</u> श्री नटवर लाल, सहायक विकास अधिकारी, कलक्टर कार्यालय,, सिरोही

श्री दुर्गेश कुमार, ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत, वाटेरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Gitesh Shree Malaviya
Date: 2021.06.09 17:10:16 IST
Reason: SelfAttested

......पेज तीन

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

पंचायत निगरानी संख्या: 61/2020, 64/2020, 73/2020, 74/2020, 75/2020, 87/2020, 88/2020, 90/2020, 91/2020, 99/2020

-: निर्णय :- दिनांक 18 मार्च, 2021

(1) संक्षिप्त में इन प्रकरणों के तथ्य इस प्रकार है। प्रार्थी विकास अधिकारी, पंचायत समिति, पिण्डवाडा द्वारा उपर्युक्त अनवान के अलग अलग निगरानी आवेदन ग्राम पंचायत, वाटेरा द्वारा अप्रार्थी संख्या-2 के पक्ष में राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 158 के तहत रियायती दर पर भूखण्ड् आवंटन का जारी पट्टा विलेख संख्या क्रमशः 22006 दिनांक 30.11.2016, 22009 दिनांक 30.11.2016, 22018 दिनांक 05.12.2015, 22019 दिनांक 05.12.2015, 22020 दिनांक 05.12.2015, 22066 दिनांक 10.4.2017, 22067 दिनांक 10.4.2017, 22069 दिनांक 10.4.2017, 22070 दिनांक 10.4.2017 व 22079 दिनांक 10.4.2017 को निरस्त कराने हेतु अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रस्तुत किये गये है

(2) प्रार्थी विकास अधिकारी, पंचायत समिति, पिण्ड्वाडा द्वारा प्रस्तुत उक्त निगरानी आवेदन जिला कलक्टर न्यायालय, सिरोही के क्षेत्राधिकार के होने से जिला कलक्टर न्यायालय, सिरोही में प्रस्तुत किये गये। जिला कलक्टर, सिरोही के आदेश क्रमांक:कोर्ट/2020/742-43 दिनांक 20.10.2020 से उक्त निगरानी आवेदन इस न्यायालय को सुनवाई हेतु स्थानान्तरित किये जाने पर इस न्यायालय में दर्ज रजिस्टर किये जाकर इन सभी निगरानी प्रकरणों में अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये जाकर तामिल करवाये गये। इन सभी प्रकरणों में अप्रार्थी संख्या-2 को नोटिस की तामिल होने के बावजूद भी इस न्यायालय में उपस्थित नही होने एवं अप्रार्थी संख्या-2 की ओर से जवाब भी प्रस्तुत नही होने के कारण इन सभी प्रकरणों में अप्रार्थी संख्या-2 के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। इन प्रकरणों में अप्रार्थी संख्या-1 (सरपंच, ग्राम पंचायत, वाटेरा) को नोटिस की तामिल होने पर प्रकरण में नियत सुनवाई तिथि 12.3.2021 को श्री दुर्गेश कुमार, ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत, वाटेरा ने इस न्यायालय में उपस्थित होकर अलग अलग जवाब प्रस्तुत किये।

(3) उक्त सभी निगरानी प्रकरण समान तथ्यों एवं समान कानूनी बिन्दुओं पर आधारित होने एवं ये सभी निगरानी प्रकरण ग्राम पंचायत, वाटेरा द्वारा जारी पट्टा विलेखों से संबंधित होने के कारण इन सभी निगरानी प्रकरणों में संयुक्त रुप से बहस सुनी जाकर इन प्रकरणों का एक ही निर्णय के द्वारा गुणावगुण पर निस्तारण किया जा रहा है।

(4) इन सभी प्रकरणों में दिनांक 12.3.2021 को श्री नटवर लाल, सहायक विकास अधिकारी, कलक्टर कार्यालय, सिरोही व ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत, वाटेरा की बहस सुनी गई। बहस के दौरान श्री नटवर लाल, सहायक विकास अधिकारी, कलक्टर कार्यालय, सिरोही ने निगरानी आवेदनों में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि ग्राम पंचायत, वाटेरा द्वारा राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 158 के तहत अप्रार्थी संख्या-2 को रियायती दर पर भूखण्ड का आवंटन करते हुए पट्टा विलेख जारी किये गये है, लेकिन अप्रार्थी संख्या-2

.....पेज चार

Signature Not Verified
Digitally signed by Gitesh Shree Malaviya
Date: 2021.06.09 17:10:16 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

पंचायत निगरानी संख्या: 61/2020, 64/2020, 73/2020, 74/2020, 75/2020, 87/2020, 88/2020, 90/2020, 91/2020, 99/2020

रियायती दर पर भूखण्ड प्राप्त करने की पात्रता नही रखते है। राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 158 के तहत पंचायत ग्राम की आबादी में 300 वर्गगज तक की भूमि अनुसूचित जाति/जनजाति, स्वच्छकारों, पिछडे वर्ग के सदस्यों, कारीगरों, श्रम मजदूरी पर आधारित भूमिहीन व्यक्तियों, बी.पी.एल. में चयनित परिवारों, विकलांगों, यायावर जनजातियों, गाडिया लुहारों या जिनके आवास बाढ के कारण बह गये है व भविष्य में रहने योग्य नही रहे है को रियायती दर पर/नि:शुल्क आवंटन कर सकेगी। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राजस्थान, जयपुर के परिपत्र संख्या एफ. 4()पीसी/परावि/आबादी पट्टा/2009/96 दिनांक 06.1.2020 में स्पष्ट किया है कि राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 158 के तहत कमजोर वर्गो को रियायती दर पर/नि:शुल्क भूखण्ड आवंटन का प्रावधान है एवं बीपीएल सेन्सस 2002 के सर्वे में ऐसे परिवार जिनके पास राज्य में कोई भूखण्ड या मकान नही है और वे इस नियम में भूखण्ड पाने के पात्र है। पंचायती राज विभाग, राजस्थान, जयपुर के परिपत्र संख्या एफ.4(1)पराविं/पीसी/आभू/2004/597 दिनांक 18.6.2004 में स्पष्ट किया है कि पात्र परिवार की वार्षिक आय 20,000/- (अक्षरे रुपये बीस हजार मात्र) से अधिक नही हो। ग्राम पंचायत, वाटेरा ने अप्रार्थी संख्या-2 के वार्षिक आय का प्रमाण पत्र प्राप्त किये बिना ही एवं अप्रार्थी संख्या-2 का राज्य में कहीं पर भी आवासीय मकान या आवासीय भूखण्ड है या नही, की जांच किये बिना ही रियायती दर पर/नि:शुल्क भूखण्ड का आवंटन करते हुए पट्टे जारी किये है, जो विधि अनुरुप नही है। यह कि ग्राम पंचायत, वाटेरा को आबादी विस्तार हेतु आवंटित भूमि का राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 142 के तहत प्लान तैयार किये बिना ही पट्टे जारी किये है। ग्राम पंचायत, वाटेरा ने राजस्व अधिकारियों/कर्मचारियों से आबादी विस्तार हेतु आवंटित आबादी भूमि का सीमाज्ञान भी नही करवाया है। ग्राम पंचायत, वाटेरा ने राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के प्रदत्त प्रावधानों का पालन किये बिना ही अपात्र व्यक्तियों को रियायती दर पर भूखण्ड का आवंटन कर पट्टा जारी किया है, जबकि अप्रार्थी संख्या-2 रियायती दर पर भूखण्ड प्राप्त करने की पात्रता नही रखते है जिसकी पुष्टि इन प्रकरणों में प्रस्तुत श्री केतन ओझा, सहायक विकास अधिकारी, पंचायत समिति, पिण्डवाडा, श्री हीराराम, सहायक विकास अधिकारी, पंचायत समिति, पिण्डवाडा व श्री चुन्नीलाल, सहायक विकास अधिकारी, पंचायत समिति, पिण्डवाडा की संयुक्त जांच रिपोर्ट से स्पष्ट होता है। अत: इन निगरानी आवेदनों को स्वीकार कर अप्रार्थी संख्या-2 के पक्ष में रियायती दर पर भूखण्ड के जारी पट्टा विलेखों को निरस्त किया जावे। बहस के दौरान ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत, वाटेरा ने जवाब में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए सहायक विकास अधिकारी, कलक्टर कार्यालय, सिरोही के कथनों की ताईद की गई।

(5) इन प्रकरणों में सुनी गई बहस पर मनन किया एवं न्यायालय पत्रावलियों का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया [illegible] पाया कि ग्राम पंचायत, वाटेरा द्वारा अप्रार्थी संख्या-2 के पक्ष में राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम

.....पेज पांच

Signature Not Verified
Digitally signed by Gitesh Shree Malaviya
Date: 2021.06.09 17:10:16 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

158 के तहत रियायती दर पर भूखण्ड का आवंटन करते हुए अप्रार्थी संख्या-2 के पक्ष में पट्टा विलेख संख्या क्रमशः 22006 दिनांक 30.11.2016, 22009 दिनांक 30.11.2016, 22018 दिनांक 05.12.2015, 22019 दिनांक 05.12.2015, 22020 दिनांक 05.12.2015, 22066 दिनांक 10.4.2017, 22067 दिनांक 10.4.2017, 22069 दिनांक 10.4.2017, 22070 दिनांक 10.4.2017 व 22079 दिनांक 10.4.2017 को जारी किये गये। राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 158(1) के अनुसार पंचायत, गांव आबादियों में 3000 वर्गगज तक कि आबादी भूमि अनुसूचित जातियों, स्वच्छकारों, अनुसूचित जनजातियों, पिछडा वर्ग के सदस्यों को, गांव कारीगरों, श्रम मजदूरी पर आधारित भूमिहीन व्यक्तियों, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम में चयनित परिवारों, विकलांगों, यायावर जनजातियों, गाडियों लुहारों को जिनके पास स्वयं के गृहस्थल/गृह नही है और ऐसे बाढग्रस्तों को भी जिनके गृह बह गये है या गृह स्थल बाढ़ के कारण भावी निवास हेतु अयोग्य हो गये है, को रियायती दरों पर आवंटन कर सकेगी।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि उपखण्ड अधिकारी, पिण्ड्वाडा के आदेश क्रमांक:राजस्व/2016/208 दिनांक 11.3.2016 के द्वारा ग्राम पंचाययत, वाटेरा को ग्राम वाटेरा के खसरा संख्या 382, 697, 1148 किस्म क्रमशः गै.मु. पहाड, गै.मु. पत्थर, गै.मु. पत्थर में से रकबा क्रमशः 5.00 बीघा, 1.12 बीघा व 0.07 बीघा भूमि आबादी विस्तार हेतु आवंटित की गई थी। उपखण्ड अधिकारी, पिण्डवाडा के इस आवंटन आदेश की शर्त संख्या-3 के अनुसार अतिक्रमण शुदा कब्जे की भूमि को बाजार दर पर राशि जमा कराने पर ही आबादी के लिये ग्राम पंचायत विक्रय कर पट्टा जारी करेगी, अन्यथा अतिक्रमियों को मौके से बेदखल कर दिया जायेगा। इस आवंटन आदेश की शर्त संख्या-4 के अनुसार यदि ग्राम पंचायत रियायती दर पर पट्टा देने का निर्णय लेती है तो अतिक्रमियों के पास आवास है या नही, आय आदि के बारे में ग्राम पंचायत की समिति में ग्रामसेवक व पटवारी (मौका रिपोर्ट वाली समिति में) शामिल किया जाकर ही नियमानुसार पट्टे जारी किये जा सकेंगे। आवंटन आदेश की शर्त संख्या-6 के अनुसार पंचायत आबादी भूमि के भूखण्डों का नक्शा प्लान तैयार कर ग्राम सभा से अनुमोदन कराना होगा। पंचायती राज अधिनियम व उसके अर्न्तगत बने नियमों के अनुसार भूखण्ड पाने की पात्रता रखते है, उन्हें नियमानुसार भूखण्ड आवंटन किये जा सकेगें। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज श्री केतन ओझा, पंचायत प्रसार अधिकारी, पंचायत समिति, पिण्डवाडा, श्री हिराराम, पंचायत प्रसार अधिकारी, पंचायत समिति, पिण्डवाडा व श्री चम्पालाल, पंचायत प्रसार अधिकारी, पंचायत समिति, पिण्डवाडा की संयुक्त जांच रिपोर्ट की छायाप्रति के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत, वाटेरा ने आबादी विस्तार हेतु आवंटित भूमि

...पेज छः

Signature Not Verified
Digitally signed by Gitesh Shree Malaviya
Date: 2021.06.09 17:10:16 IST
Reason: SelfAttested

वरि. सिविल न्यायाधीश
सिरोही (राज.)

का नक्शा प्लान तैयार नही किया है। ग्राम पंचायत, वाटेरा के पास ऐसा कोई प्लान नक्शा उपलब्ध नही है जिससे यह स्पष्ट हो सके कि कौन से खसरा संख्या नंबर में कौनसा पट्टा विलेख जारी किया है, जो उपखण्ड अधिकारी, पिण्डवाडा के उक्त आवंटन आदेश दिनांक 11.3.2016 की शर्त संख्या-6 का उल्लंघन है। उपखण्ड अधिकारी, पिण्डवाडा के उक्त आवंटन आदेश की शर्त संख्या-4 के अनुसार यदि ग्राम पंचायत रियायती दर पर भूखण्ड आवंटन का निर्णय लेती है तो इन व्यक्तियों/अतिक्रमियों के पास आवास है या नही, आय आदि के बारे में ग्राम पंचायत की समिति में ग्रामसेवक व पटवारी को (मौका रिपोर्ट लेने वाली समिति में) शामिल किया जाकर ही नियमानुसार पट्टे जारी किये जा सकेंगे, लेकिन ग्राम पंचायत, वाटेरा ने उपखण्ड अधिकारी, पिण्डवाडा के इस आवंटन आदेश की शर्त संख्या-4 की भी पालना नही की है। इससे, यह स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत, वाटेरा ने आबादी विस्तार हेतु आवंटित भूमि का नक्शा प्लान तैयार करवाये बिना ही एवं राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 158 के तहत अप्रार्थी संख्या-2 के रियायती दर पर भूखण्ड आवंटन की पात्रता की जांच किये बिना ही रियायती दर पर भूखण्ड आवंटन के पट्टा विलेख जारी किये है, जो विधि सम्मत नही है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज श्री केतन ओझा, पंचायत प्रसार अधिकारी, पंचायत समिति, पिण्डवाडा, श्री हिराराम, पंचायत प्रसार अधिकारी, पंचायत समिति, पिण्डवाडा व श्री चुन्नीलाल, पंचायत प्रसार अधिकारी, पंचायत समिति, पिण्डवाडा की संयुक्त जांच रिपोर्ट की छायाप्रति के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि रेबारी समाज के व्यक्तियों के पुराने आवास बने हुये है, परन्तु उनको राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 158 के तहत पट्टे जारी किये गये है, जबकि इन्हें राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157 के तहत पट्टे जारी करने थे।

अत: प्रार्थी विकास अधिकारी, पंचायत समिति, पिण्डवाडा द्वारा प्रस्तुत इन सभी निगरानी आवेदनों को स्वीकार किया जाकर ग्राम पंचायत, वाटेरा द्वारा अप्रार्थी संख्या-2 के पक्ष में राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 158 के तहत रियायती दर पर भूखण्ड आवंटन के जारी पट्टा विलेख संख्या क्रमश: 22006 दिनांक 30.11.2016, 22009 दिनांक 30.11.2016, 22018 दिनांक 05.12.2015, 22019 दिनांक 05.12.2015, 22020 दिनांक 05.12.2015, 22066 दिनांक 10.4.2017, 22067 दिनांक 10.4.2017, 22069 दिनांक 10.4.2017, 22070 दिनांक 10.4.2017 व 22079 दिनांक 10.4.2017 को निरस्त किया जाता है एवं प्रकरण ग्राम पंचायत, वाटेरा को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि ग्राम पंचायत, वाटेरा आबादी विस्तार हेतु आवंटित भूमि का नक्शा प्लान तैयार

Signature Not Verified
Digitally signed by Gitesh Shree Malaviya
Date: 2021.06.09 17:10:16 IST
Reason: SelfAttested

.....सात पर

जिला ... सिरोही (राज.)

जि.(जिला) ... सिरोही (राज.)

पंचायत निगरानी संख्या: 61/2020, 64/2020, 73/2020, 74/2020, 75/2020, 87/2020, 88/2020, 90/2020, 91/2020, 99/2020

करवाकर अनुमोदन करवाये। उसके बाद अप्रार्थी संख्या-2 के राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 158 के तहत रियायती दर पर भूखण्ड प्राप्त करने की पात्रता की जांच करे कि उक्त नियम 158 में वर्णित श्रेणी का अप्रार्थी संख्या-2 व्यक्ति है अथवा नही? अप्रार्थी संख्या-2 के पास आवास हेतु मकान या भूखण्ड उपलब्ध है अथवा नही? एवं अप्रार्थी संख्या-2 की आय की भी जांच करे। यदि जांच में अप्रार्थी संख्या-2 रियायती दर पर भूखण्ड प्राप्त करने का पात्र व्यक्ति होना पाया जाता है तो उन्हें पुनः नियमानुसार भूखण्ड आवंटन करने की कार्यवाही करे। साथ ही, ग्राम पंचायत, वाटेरा को यह भी निर्देश दिये जाते है कि यदि अप्रार्थी संख्या-2 का ग्राम वाटेरा में पुराना आवासीय गृह बना हुआ है तो राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157 के तहत उसे पट्टा विलेख जारी करने की कार्यवाही करे। निर्णय सुनाया गया। इस निर्णय की मूल प्रति पंचायत निगरानी संख्या 61/2020 की पत्रावली के संलग्न रखी जावे एवं अन्य प्रकरणों की पत्रावलियों में इस निर्णय की छाया प्रति रखी जावे।

न्यायालय अति० जिला कलक्टर सिरोही (राज०)

18/3/2021

(गितेश श्री मालवीया)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
सिरोही

Signature Not Verified

Digitally signed by Gitesh Shree Malaviya
Date: 2021.06.09 17:10:16 IST
Reason: SelfAttested